कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-17.01.2025

विषयः- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं कुल 5000/- रु0 अर्थदण्ड।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0390/2020 धारा 457,380,411,413,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गुलाब हरिजन पुत्र स्व0 रामजतन निवासी सेहदा थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ हाल पता ग्राम रुस्तमपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-16.01.2025 को माननीय न्यायालय ACC-04 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त गुलाब हरिजन उपरोक्त को अंतर्गत धारा 457,380,411,413,414 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष के कारावास एवं कुल 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।